न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी: सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर: 3/2017
उनवानी प्रकरण: 1– चम्पादेवी विधवा
2– भंवरसिंह
3– श्यामसिंह
4– वालीसिंह } पुत्रगण
5– भूरीदेवी
6– शीलादेवी } पुत्रीयान
7– विमलादेवी
} पिसरान डीमानसिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम देवखेड़ा तहसील राजाखेड़ा

------ प्रार्थीगण

बनाम

1– जयप्रकाश पुत्र बाबूराम सिंह
2– ओमप्रकाश पुत्र धनीराम
3– रामादेवी विधवा स्व. चरनसिंह
4– विष्णु
5– नेत्रपाल } पुत्रगण चरनसिंह
6– डीमानसिंह
7– शारदा पुत्री चरन सिंह
} समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम देवखेड़ा तहसील राजाखेड़ा।

8– बंगाली
9– नतीलाल } पुत्रगण बीधाराम
10– होतमसिंह
11– रामबाबू
12– देवेन्द्र
13– हेमेन्द्र
14– धर्मेन्द्र } पुत्रगण गुलाबसिंह
} जाति राजपूत निवासीगण ग्राम देवखेड़ा तह० राजाखेड़ा।

15– गंगादेवी विधवा द्वारिका
16– रतन
17– पदमवाल
18– रामअवतार } पुत्रगण द्वारिका
19– रामबेटी
20– बतरवा } पुत्रीयान द्वारिका
} जाति राजपूत निवासीगण ग्राम देवखेड़ा तहसील राजाखेड़ा।

21– जानकीप्रसाद
22– महाराजसिंह
23– जगदीश प्रसाद } पुत्रगण जयराम
24– रामदुलारी बेवा जयराम

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः – 2

(2)

25– रूपसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति राजपूत नि० देवखेड़ा तहसील राजाखेड़ा

26– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा ...अप्रार्थीगण

27– चरनदेवी विधवा } पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत

28– लखिमनसिंह पुत्र } नि० देवखेड़ा

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित:- 1- श्री विमल कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण

2- श्री अश्विनी कुमार जैन वकील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक:- 13-01-2020

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) आर०टी०ए० इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित खातेदारी ख०न० स्थित ग्राम देवखेड़ा 418 रकबा 19 बिस्वा व खसरा न० 420 रकबा बिस्वा स्थित ग्राम देवखेड़ा ... शेष ख०नं० रकबा व खातेदारी पर विवाद के मध्य मेढ़ (सीमा) विवादित है। शेष ख०नं० रकबा व खातेदारी पर विवाद नहीं है। उक्त विवादित ख०नम्बरों की मेढ़ के दक्षिण दिशा मे प्रार्थीगण के आ० ख०न० 431, 432, 433 एव 434 के खेत है। इन खसरा नम्बरो पर आने जाने के लिए वर्षों से प्रार्थीगण एव उनके पूर्वज इस मेढ़ का रास्ते के रूप मे उपयोग मे लेते रहे है। इस मेढ़ के पूर्व मे ख०न० 419 है तथा ख०न० 419 के पश्चिम मे ख०न० 356 355, 443, 442, 346, 349. ख०नं० है तथा ख०न० 349 के पूर्व मे जो ख०न० 355, 443, 442, ख०न० 353 ग्राम आबादी है। ख०न०, 346, 349 है इसकी दक्षिण दिशा मे केवल सड़क है जो कि मनरेगा के अन्तर्गत मिट्टी व गिट्टी डालकर सुगम आम रास्ता बनाने योग्य किया है। इस सड़क से आवागमन आम रास्ता की तरह होता है किसी खातेदार ने केवल सड़क से आवागमन आम रास्ता की तरह होता है किसी खातेदार ने एतराज नहीं की है। तरमीमी नक्शा ट्रेस मे भी उपरोक्त ख०नं० के मध्य आम रास्ता की आकृति है। वर्तमान नक्शा ट्रेस मे भिन्नता है इससे जाहिर है कि ख०न० 353 से 419 की तरफ आम रास्ता है जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से वर्षों से हो रहा है। प्रार्थीगणो ने करीब 25 वर्ष पूर्व अपनी खातेदारी के ख०न० 433 व 434 मे पुख्ता आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे है। सम्पूर्ण परिवार का आना जाना ख०न० 418 व 420 के मध्य मेढ़ से होकर रहा है। ग्राम आबादी व अन्यत्र जगहों से आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रकरण दायरी के 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण के मध्य वाद विवाद हुआ और उन्होंने वैकल्पिक मार्ग को रोकने का प्रयास

क्रमशः—3

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

किया तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि उन्हें कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए अतिरिक्त मार्ग दे दिया जावे तथा मुताबिक कानून राशि दिये जाने को प्रार्थीगण तैयार हैं तो इस पर अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया। तब प्रार्थीगण द्वारा ख०न० 418 व 420 के मध्य की 150 फीट लम्बी पर अतिरिक्त 6 फीट का मार्ग, दोनों खसरों से पृथक पृथक 3-3 फीट कुल 6 फीट मार्ग DLC दर से भुगतान करने पर उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय में यह प्रकरण प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता 6 फीट उपलब्ध करा० एवं राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्दी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय में उप० आये दिनांक दिनांक 12-11-19 को अप्रार्थी रूपसिंह की ओर से जवाब प्रा०पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा जवाब प्रा०पत्र के कथनों से सामान्य रूप से इन्कार करते हुए कथन किया है कि आवासीय मकानात हेतु धारा 251 A के तहत रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। प्रार्थीगण बिना किसी विघ्न बाधा के दूसरे रास्ते पर से आ जा रहे हैं। अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर ही धारा 251 (A) के तहत रास्ता प्रदान किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आधारहीन नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

~~[illegible]~~ तहसीलदार राजाखेड़ा से मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट मंगायी गयी। तत्पश्चात तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा दिनांक 17-5-17 को मौका देखकर दिनांक 22/5/17 को मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। यह रिपोर्ट अस्पष्ट एवं अधूरी थी अतः इसके अस्पष्ट होने पर तहसीलदार राजाखेड़ा से पुनः स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया उनके द्वारा दिनांक 6/7/2019 को पुनः मौका देखकर दिनांक 8/7/19 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में मौके की बिन्दुवार एवं स्पष्ट रिपोर्ट नहीं थी। अतः तहसीलदार राजाखेड़ा से पुनः रिपोर्ट हेतु बिन्दु निर्धारित कर मौके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। दिनांक 14-12-2019 को तहसीलदार द्वारा पुनः मौका देखा गया तथा निर्धारित बिन्दुओं के तहत मौके की जांच कर बिन्दुवार मौके की स्पष्ट रिपोर्ट दिनांक 16/12/19 को प्रस्तुत की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष

के अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अपनी बहस मे वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा रिपोर्ट तहसीलदार से प्रार्थना पत्र की पुष्टि साबित होना बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एव रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस मे अपने जवाब प्रा. पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली एव रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 16-12-19 का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषकगण पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने ख.नं. 433 व 434 मे बने मकानो से ग्राम आबादी व अन्य जगह आने जाने के लिए ख.नं. 418 व 420 के मध्य की मेड़ पर होकर आना जाना बताया है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है तथा खसरा नं. 418 व 420 मे से 3-3 फुट रास्ते के लिए कुल 6 फीट जमीन की मांग DLC दर पर की गयी है। तहसीलदार राजाखेड़ा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 14-12-2019 मे यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ख.नं. 418 व 420 की मेड पर कच्चा रास्ता वर्तमान मे चालू है राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही है। प्रार्थीगण का आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए रास्ता आवश्यक है। ख.नं. 418 व 420 की मेड पर विधि अनुसार प्रार्थी के हिसाब से रास्ता चाहा गया है अतः न्यूनतम रास्ता हेतु ख.नं. 418 रकबा 1.91 है. मे से 150X7.5 (1125 वर्ग फीट) पश्चिम की तरफ तथा ख.नं. 420 रकबा 1.21 हैक्टेयर मे से 150X7.5 (1125 वर्ग फीट) पूर्व की तरफ न्यूनतम रास्ते हेतु भूमि दिया जाना आवश्यक है। जिसका नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण की आराजी खातेदारी है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट बनता है। इस रास्ते की भूमि की DLC दर 181600/- रु प्रति बीघा है। जिसके अनुसार कुल मालियत 15008/- रु बनती है प्रत्येक प्रत्येक 7504 व 7504/- रु है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी भूमि नक्शे मे लाल स्याही से दर्शायी गयी है। जो संलग्न है ख.नं. 418 पर खातेदार जयप्रकाश वगैरा व ख.नं. 420 पर खातेदार रूपसिंह पुत्र प्रीतमसिंह वगैरह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रास्ता हेतु वांछित भूमि पेराफेरी क्षेत्र मे नही आती है।

तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे रास्ते हेतु मांगी गयी भूमि विधि संगत है तथा न्यायोचित है

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के रास्ते के लिए नियमानुसार DLC दर पर भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा विवादित आराजी ख.न. 418 व 420 स्थित ग्राम देवखेड़ा के मध्य मेड़ पर आठ फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण को अपने खेत एवं मकानों पर आने जाने के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। यह रास्ता हेतु 4 फुट भूमि ख.न. 418 में से तथा चार फुट भूमि ख.न. 420 में से अप्रार्थीगण से ली जावेगी। इस रास्ते की लम्बाई दोनों ख.न. के बीच में 150 फीट होगी। इस प्रकार रास्ते की कुल भूमि 8×150=1200 वर्गफुट होगी। इसकी डी.एल.सी दर 181600/रु बीघा है अतः रास्ते की भूमि की कीमत कुल 8004/रु बैठती है। यह कीमत दोनों ख.न. 418 व 420 के खातेदारों को आधी आधी अर्थात 4002 व 4002/रु प्राप्त होगी। प्रार्थीगण रु 8004/रु की राशि तहसील राजाखेड़ा में जमा करावें। तहसीलदार राजाखेड़ा यह राशि उक्त भूमि के खातेदारों का वितरित करेंगे। तदुपरान्त तहसीलदार राजाखेड़ा को यह आदेश दिया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व नक्शे में रास्ता चिन्हित करावे एवं मौके पर भी प्रार्थीगण का रास्ता सीमांकित कराया जावे। तहसीलदार राजाखेड़ा को उक्तानुसार पालना हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली कोमल कुमार होकर बाद तकमील शामिल रिकार्ड हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)